

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 1532 / बिजनौर / 20898 / 2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 20, 2017
सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग (एस0एच0-76) किमी0 6.725 से 42.725 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 27.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/90/2016/एफसी/468, दि0 09.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा संशोधित लागत-लाभ विश्लेषण एवं एन0पी0वी0 की संशोधित गणना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर, के पत्रांक-2236/14-1, दि0 18.01.2017 द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण एवं एन0पी0वी0 की संशोधित गणना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसे मूल में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करे।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1532 / **उक्तदिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्त **संलग्नक सहित।**
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बिजनौर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।